07/7/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा चन्देरिया प०ह० रोलाहेडा स्थित आराजी सख्या 2109, 2110, 2111, 2119, 2120, 2122 कीता 6 कुल रकबा 5.19 हे. भूमि पुश्तैनी एवं पैतृक होकर विरासत से प्रार्थी का हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, जिसमे विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलनदाजी कर आने-जाने के रास्तो मे अवरोध पैदा करते है तथा विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात को अन्य लोगों को विक्रय कर हस्तान्तरण करने पर आमदा हो रहे है। अतः विपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे उक्त आराजीयात को

2021/203

x------लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2021/203

रहन, बह, बक्षीस एवं हस्तान्तरण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैन बहस आराजीयात पर विपक्षीगण 1 से 6 का कब्जा काश्त है, प्रार्थी का मौके पर भौतिक कब्जा नहीं है, केवल मात्र धोखे से नूर खां की विरासत का इन्तकाल खुल जाने से प्रार्थी खातेदार बन गए है, जबकि उक्त सभी आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 से 6 का कब्जा उपभोग उपभोग चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 अनुसार मौजा चन्देरिया पट० रोलाहेड़ा के खाता संख्या 760 में वर्णित आराजी संख्या 2109, 2110, 2111, 2119, 2120, 2122 कीता 6 कुल रकबा 5.1900 है० में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 सहखातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में किसी भी सहखातेदार को अपने नामदर्ज हक हिस्से के रहन-बह-बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरण हेतु रोका जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] 7-6-2021 के साथ संलग्न की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.08.09 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]